

झारखण्ड सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

पत्र संख्या - वा0कर1/वैट/विविध/16/2008-4767 /राँची, दिनांक - 9/12/10

प्रेषक,

अलका तिवारी
सचिव-सह-आयुक्त,
वाणिज्य-कर विभाग,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

सभी वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)/ (अपील),
सभी अंचल प्रभारी।

विषय:- झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 74 तथा झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली 2006 के नियम 15 (6) (f) के अधीन ऑन-लाईन भुगतान समर्पित करने एवं तत्संबंधी मार्गदर्शन एवं प्रक्रिया के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि राज्य में दिनांक 01.04.2006 से बिक्री कर व्यवस्था के स्थान पर मूल्यवर्द्धित कर प्रणाली लागू की गयी है। मूल्यवर्द्धित कर प्रणाली के अधीन स्वचालन (Automation) पर विशेष महत्व दिया गया है ताकि स्वतः-स्फूर्त, पारदर्शी, राजस्वोन्मुखी तथा व्यवसायी अनुकूल (Dealers-friendly) कर व्यवस्था स्थापित की जा सके। उक्त स्वचालित प्रक्रिया के क्रियान्वयन के कम में, विभागीय प्रक्रियाएं यथा निबंधन प्रमाण पत्र निर्गत करना, वैधानिक प्रपत्रों का निर्गमन तथा संबंधित उपयोगिता विवरणी (Utilisation statement) प्राप्त करना, विवरणियों समर्पित करना तथा कर भुगतान को कम्प्यूटर जनित प्रक्रियाओं में परिवर्तित करना आवश्यक है।

विभागीय कार्यदक्षता, पारदर्शिता में सुधार, वित्तीय प्रबंधन एवं सूचनातंत्र को समुन्नत करने के उद्देश्य के साथ-साथ व्यवसायीवर्ग को अधिकाधिक सुविधा देने के उद्देश्य से विभाग द्वारा **दिसम्बर, 2010** के प्रभाव से ऑन-लाईन भुगतान समर्पित करने की योजना बनायी गयी है। झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली 2006 के नियम 15 (6) (f) के प्रावधान के आलोक में ई-फाइलिंग (मूल एवं पुनरीक्षित विवरणियों) के उद्देश्य हेतु निम्न मापदण्ड तथा प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:-

1. ई-पेमेंट की व्यवस्था झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 29 (4) के साथ पठित झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006 के नियम 15 (6) (f) के अधीन प्रावधानित मानी जायेगी।

2. सर्वप्रथम ई-पेमेंट की व्यवस्था ऐसे निबंधित व्यवसायियों के लिए अनिवार्य की जायेगी जिनकी वार्षिक कर देयता 5 लाख रुपये या उससे अधिक है। उक्त निर्धारित सीमा से कम कर-भुगतान करने वाले इच्छुक निबंधित व्यवसायी भी ई-पेमेंट की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।

अप्रैल, 2011 से उक्त योजना सभी निबंधित व्यवसायियों के लिए अनिवार्य रूप से लागू होगी।

3. वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा कोषागार संहिता के नियम 10, 97 एवं 452 के निहित प्रावधानों में आवश्यक सुधार कर ऑनलाईन भुगतान से संबंधित कड़िका अन्तःस्थापित कर दी गयी है।

4. वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, भारत सरकार द्वारा e-governance के बिन्दु पर दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार ऑनलाईन भुगतान प्रणाली, कम से कम पाँच बैंकों के साथ होनी चाहिए। सम्प्रति विभाग द्वारा ऑनलाईन भुगतान प्रणाली की शुरुआत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ की जा रही है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बिहार/झारखण्ड द्वारा झारखण्ड राज्य में सरकारी व्यवसाय को Handle करने हेतु सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही प्राधिकृत किया गया है।

अन्य बैंकों के साथ भी ऑनलाईन भुगतान प्रणाली प्रारंभ करने हेतु रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

5. सम्प्रति स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ ऑनलाईन भुगतान की प्रणाली को प्रारंभ करने के लिए यह आवश्यक है कि संबंधित व्यवसायियों के पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंटरनेट बैंकिंग खाता की सुविधा उपलब्ध हो।

6. ऑनलाईन भुगतान करने वाले व्यवसायियों को विभागीय वेबसाइट <http://jharkhandcomtax.nic.in> या <http://www.jharkhand.gov.in> के Link के option से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर transfer की सुविधा प्राप्त होगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अपने खाता-धारकों (Account-holder) को Login करने के लिए ID/Password की सुविधा दी जाएगी। उक्त ID/Password के माध्यम से खाताधारक बैंक के वेबसाइट पर Login कर पाएंगे। Login करने के उपरांत Screen पर एक PERFORMA आएगा जिसमें Tax Type, TIN, व्यवसायी का नाम/पता, अंचल का नाम, भुगतान की अवधि, भुगतान की प्रकृति (Admitted Tax, Assessed Tax/ Interest/Penalty इत्यादि) के विवरण की जानकारी भरनी होगी। PERFORMA का प्रारूप निम्नवत् है :-

1	Tax Type	List of Act choose any one (VAT/ENT/LT/ED/ADV/TDS/JST/CST/ENT)
2	TIN *	Tin no of the dealer
3	Name *	Name of the dealer
4	Address *	Address of the dealer
5	Circle Name	Circle of the dealer
6	Period of Payment *	Period of tax
7	Admitted Tax	0.00
8	Assessed Tax	0.00
9	Interest	0.00
10	Penalty	0.00
11	Misc (Miscellaneous)	0.00
12	Total	0.00

तदोपरांत व्यवसायी द्वारा अपने बैंक खाते के माध्यम से ई-पेमेंट की कार्रवाई पूरी की जा सकेगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट से एक e-receipt निर्गत होगा जिसे व्यवसायी भुगतान के प्रमाणस्वरूप प्रयुक्त कर सकते हैं। इसप्रकार झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006 के नियम-15 के प्रावधान के अधीन विहित चालान प्रपत्र JVAT 205 के प्रतिस्थानी (Substitute) के रूप में उक्त e-receipt को कर-भुगतान का प्रमाण समझा जाएगा।

विभागीय वेबसाइट पर उपर्युक्त वर्णित e-receipt का विवरण उपलब्ध होगा जिससे संबंधित पदाधिकारी, व्यवसायियों द्वारा उपस्थापित e-receipt का प्रतिसत्यापन कर सकेंगे।

अन्य बैंकों के साथ ऑनलाईन भुगतान की व्यवस्था प्रारंभ होने के उपरांत उपर्युक्त व्यवस्था अन्य बैंकों के साथ भी लागू होगी।

7. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा राँची स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हटिया शाखा, राँची में एक Pooling Account/ Nodal Account खोला जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सारी शाखाएँ उक्त Pooling Account/ Nodal Account में वाणिज्य-कर के कर-भुगतान से संबंधित विवरणी प्रेषित करेंगी। तदोपरांत उक्त Pooling Account/ Nodal Account विभागीय कर-भुगतान राशि की समेकित विवरणी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को प्रेषित करेगी। साथ-साथ, उक्त Pooling Account/ Nodal Account के माध्यम से उक्त समेकित विवरणी Cyber Treasury (प्रोजेक्ट भवन कोषागार) को प्रेषित किया जायेगा।

Cyber Treasury संबंधित समेकित विवरणी विभागीय सॉफ्टवेयर 'VICTORY' के माध्यम से मुख्यालय तथा सभी प्रमण्डलों/अंचलों को प्रेषित करेगी। विभागीय सॉफ्टवेयर द्वारा उक्त समेकित विवरणी से आवश्यक MIS तैयार कर अंचलवार कर भुगतान का विवरण सभी प्रमण्डलों, अंचलों तथा मुख्यालय को प्रेषित करेगी।

अन्य बैंकों के साथ ऑनलाईन भुगतान की व्यवस्था प्रारंभ होने के उपरांत उपर्युक्त व्यवस्था अन्य बैंकों के साथ भी लागू होगी।

8. वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा प्रोजेक्ट भवन स्थित कोषागार को Cyber Treasury के तौर पर अधिसूचित किया गया है। उक्त Cyber Treasury में State Bank of India के Pooling Account/ Nodal Account द्वारा कर-भुगतान की समेकित विवरणी प्रेषित की जाएगी।

9. विभागीय वेबसाइट <http://jharkhandcomtax.nic.in> या <http://www.jharkhand.gov.in> पर ऑनलाईन भुगतान की प्रक्रिया की पूरी जानकारी online e-payment Manual के रूप में उपलब्ध है जिसे डाउनलोड किया जा सकता है।

10. ई-पेमेंट के उद्देश्य हेतु निर्धारित तिथियाँ, झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली नियम 15 के प्रावधान यथावत् लागू रहेंगे। विहित समय पर भुगतान नहीं करने की स्थिति में झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 30 (3) के दण्डात्मक प्रावधान लागू होंगे तथा प्राधिकृत पदाधिकारी इस आशय तक विधि सम्मत कार्रवाई करने हेतु स्वतंत्र एवं सक्षम होंगे।

इसके अतिरिक्त समय-समय पर ई-पेमेंट व्यवस्था की प्रक्रिया में यथाआवश्यक संशोधन/परिवर्तन करने हेतु मार्गदर्शन निर्गत किया जा सकेगा।

विश्वासभाजन

A. Jangra
सचिव-सह-ओपुक्स,
वाणिज्य-कर विभाग,
झारखण्ड, राँची।